तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज लाभचन्द लाल बनाम भारत सरकार जरिये उप मुख्य अभियंता उत्तर पश्चिम रेलवे उदयपुर अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2024/659	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.12.2024	पत्रावली आज न्यायालय जिला कलक्टर चितौडगढ से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई। दर्ज रजिस्टर करें। अप्रार्थी की ओर से एड0 श्री आशिष कुमार एवं श्री अशोक कुमार मुख्य विधि सहायक उपस्थित। प्रार्थीगण की तलवी न्यायालय स्तर से की जाकर पत्रावली दिनांक 23.12.2024 को पेश हो। (रश्मि गुप्ता) संभागीय आयुक्त, उदयपुर संभागीय आयुक्त उदयपुर	
23.12.2024	पत्रावली पेश हुई। राजपत्र अधिसूचना संख्या 5047 रेल मंत्रालय उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)} दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 से चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ जिलों के संबंध में राजस्थान राज्य में बडीसादडी – नीमच नई बडी लाईन रेल परियोजना की विशेष परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए संभागीय आयुक्त, उदयपुर को उक्त अधिनियम के अधीन मध्यस्थ के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है, अतः न्यायालय हाजा स्तर से प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर मूल पत्रावली मय सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी से प्राप्त मूल अवार्ड पत्रावली के अग्रिम विचारण हेतु श्रीमान् संभागीय आयुक्त उदयपुर को प्रेषित की जाती है। तद्नुसार पत्रावली न्यायालय हाजा से निर्णित शुमार की जाकर अभिलेखों में अंकन किया जावें। पत्रावली संभागीय आयुक्त, उदयपुर के समक्ष पेश हो । (रश्मि गुप्ता) संभागीय आयुक्त, उदयपुर संभागीय आयुक्त उदयपुर	